

फैक्स/ई-मेल सन्देश
राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा
निर्वाचन सदन,प्लाट नं02,सैक्टर 17
पंचकूला।

क0 रा0नि0आ0/3ई-11/2010/4456-63

दिनांक 19.06.2010

सेवा में

उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार
गुड़गांव और रिवाड़ी।

विषय:- पंचायती राज संस्थओं के आम चुनाव 2010-कर्मचारियों की
रैण्डमाईजेशन करने बारे।

उपरोक्त विषय पर आयोग के पृ0क0:रा0नि0आ0/3ई-11/
2010/ 2787-98 दिनांक:26.05.2010 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह
कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने जिले में सभी कर्मचारियों के
डाटाबेस में से वास्तविक लगाए जाने वाले कर्मचारियों के प्रथम स्तर की
रैण्डमाईजेशन में उनका ब्लॉक अलाट कर दिया जाये तथा सम्पूर्ण पोलिंग
पार्टी को ब्लॉक स्तर पर प्रथम रिहर्सल करवाई जाये। मतदान पार्टियों को
दिनांक 5-7-2010 तथा 09.07.2010 को भेजते समय पुनः
रैण्डमाईजेशन करके उसी दिन उनका बूथ अलाट कर दिया जाये। कृप्या
यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उपरोक्त तिथियों से पूर्व किसी भी
पीठासीन/पोलिंग अधिकारी को इसकी ड्यूटी स्थान का पता न लगने
पाये।

हस्ता/-

अधीक्षक/पंचायत
राज्य निर्वाचन आयोग,हरियाणा